

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राज0जयपुर

क्रमांक: ई-18/एम/172/परिवीक्षा/जोन-जोधपुर/2024/

दिनांक :-

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रुल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 की अनुपालना में श्री हिम्मत सिंह, कनिष्ठ सहायक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बूसी, ब्लॉक रानी जिला पाली जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 03.05.2021 है तथा जिन्होंने दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि दिनांक 02.05.2023 को पूर्ण कर ली है का दिनांक 03.05.2023 से रुपये 20800/- (लेवल-5) पर वेतन नियतन करते हुए इन्हें कनिष्ठ सहायक के पद पर एतद् द्वारा स्थाई किया जाता है। इनके द्वारा आरएससीआईटी परीक्षा दिनांक 05.02.2016 को उत्तीर्ण कर ली गई है एवं टंकण परीक्षा दिनांक 25.01.2024 को उत्तीर्ण कर ली गई है।

कार्मिक को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण तिथि से वार्षिक वेतन वृद्धि का नगद लाभ देय होगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0,जयपुर

क्रमांक: ई-18/एम/172/परिवीक्षा/जोन-जोधपुर/2024/ 119

दिनांक :- 17/5/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली।
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बूसी, ब्लॉक रानी जिला पाली।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. श्री हिम्मत सिंह, कनिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0,जयपुर

RajKaj Ref
6998790

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date: 16-05-2024 12:34:14